

उत्तराखण्ड शासन



(गढ़वाल क्षेत्र)

लोक निर्माण विभाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

जनपद :- देहरादून।

परियोजना का नाम:- पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वर्ष :-	2015-2016
मार्ग की कुल लम्बाई	:- 4.00 कि०मी०
निर्माण लागत (रु०)	:- 111.20 लाख
वन भूमि हेतु गठित प्रस्ताव	:- 2.800 है०
आरक्षित वन भूमि	:- 0.00 है०
सिविल एवं सोयम वन भूमि	:- 0.9975 है०
पंचायत बंजर भूमि	:- 0.00 है०
निजी/ नाप भूमि	:- 1.8025 है०
योग	:- 2.800 है०

9वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सहिया।

प्रपत्र-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए) परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/
परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण-

पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है०)

शासनादेश संख्या I 541/III-(2)/05-13
(प्रा०आ०)/2005 दिनांक 30/06/2005 ख)
संलग्नक- 7 पर संलग्न हैं।

1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि -
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत। -

111.20 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने -

स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना
एवं का औचित्य पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु।
उक्तानुसार।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये -
जानेके लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की -
संभावना है।

कृषि में वृद्धि होगी जिससे रोजगार पैदा होंगे।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार -
एवं विवरण:

स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना
पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या -

कोई नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के -
परिवारों की संख्या

कोई नहीं।

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने -
के लिए)

आवश्यकता नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 -
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके -
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
(वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्नक-

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण -
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न हैं।

दिनांक.....

स्थान.....

सहायक अभियन्ता

अ० खण्ड लो०नि०वि०,
सहिया।

78
अधिशारी अभियन्ता
अ० खण्ड लो०नि०वि०,
सहिया।

प्रपत्र-2.1

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान-

पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र -

उत्तराखण्ड

ii) जिला-

देहरादून

iii) वन प्रभाग-

चकराता वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन
भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

v) वन की कानूनी स्थिति

निर्दिष्ट एवं तोयन कथन

0.9975 है0

vi) हरियाली का घनत्व

0.1

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि

उक्त मोटर मार्ग निर्माण में चकराता वन प्रभाग के
अन्तर्गत कुल बाधित वृक्षों की सं0 34 है। जो प्रस्ताव के
साथ संलग्न है।

श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की
जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के
सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर
परिगणना भी संलग्न किए जाए

viii) भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन
शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की
वन की सीमा से अनुमानित दूरी

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य
जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर
आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और
प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित
की जाए)

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ
/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है
यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/
रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक
क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा
सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ
यदि अपेक्षित हो, या

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित
वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य
और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों
के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया
है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी
अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का
ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह
रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित

22- वनभूमि की रिपोर्ट लगाने

नहीं

नहीं

.....2.....

[Signature]

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....

स्थान.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.3
भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.4

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17- राज्य सरकार की सिफारिश:

(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर